न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 38/2023 बउनवानी भाग्य सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर पुत्र श्री रामस्वरूप मीना निवासी नटवाडा पटटी पिलोदा, तहसील वजीरपुर

GCMS No-2023/59

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही । लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.01.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. राशन कार्ड संख्या 200001251071 है इसका राशन चार–पांच माह से अधिक समय हो गया है वितरक द्वारा राशन नही दिया गया है इसपर आपके द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है।
2. राशन डीलर मनीराम मीना दुकान संख्या 675 पीलोदा द्वारा पीओएस मशीन से राशन वितरण की रसीद नही दी जाती है पिछले तीन चार वर्ष से इस विषय मे शिकायत के बाद भी आज तक कार्यवाही नही की गयी है अगर कार्यवाही की गयी है तो उसकी सूचना उपलब्ध करावे।
3. पीलोदा गांव के राशन डीलर मनीराम मीना दुकान संख्या 675 द्वारा उपभौक्ता सप्ताह मे दुकान एक या दो दिन ही खोली जाती है इस विषय मे शिकायत पत्र के बाद आज तक की गयी कार्यवाही के बारे मे बतावे।
4. पीलोदा गांव की इस राशन की दुकान का आपके द्वारा किस किस माह में सत्यापन जॉच की गयी है इसके बारे में बतावे।
5. पीलोदा गांव के राशन डीलर मनीराम की दुकान संख्या 675 पर आपके ....…अपठनीय
6. वजीरपुर उपखण्ड स्तर पर रसद विभाग का प्रवर्तन निरीक्षक पद पर कार्यरत कार्मिक का नाम तथा दूरभाष मोबाईल नम्बर बतावे तथा कब से यहॉ पर कार्यरत है
7. पीलोदा गांव के राशन डीलर मनीराम मीना दुकान संख्या 675 को कब–कब भौतिक सत्यापन किया गया तथा इसमे क्या क्या कमी मिली या नही इस विषय मे सत्यापित सूचना दी जावे।
8. पीलोदा गांव के राशन डीलर मनीराम मीना की दुकान पर सूचना पटट लगा हुआ है या नही बतावे तथा सूचना पटट पर रसद विभाग के जॉच निरीक्षक के मोबाईल नम्बर तथा नाम पता अंकित है तो बताये नही तो आज तक क्यो नही । इस विषय पर आपके द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अ[illegible] उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना [illegible] आदेशित किया गया [illegible] ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2023/1864 दिनांक 11.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना कुल 9 पृष्ठो के लिए 18/–रू शुल्क जमा करवाने बाबत जरिये पत्रांक 531 दिनांक 2.3.2023 से अपीलान्ट को लिखा गया था परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी थी। किन्तु उक्त अपील का नोटिस प्राप्त होने पर जरिये पत्रांक 1862 दिनांक 11.7.2023 से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 पर वांछित सूचनाऐ निःशुल्क भिजवाते हुए बिन्दु संख्या 5 लगायत 8 की सूचना जिला रसद कार्यालय से प्राप्त करने बाबत लिखा जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के पत्रांक 1862 दिनांक 11.7.2023 से निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। चूंकि शेष बिन्दु संख्या 5 लगायत 8 की सूचना के लिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के पत्रांक 529 दिनांक 2.3.2023 से जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है। अतः जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 5 लगायत 8 की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner